


795

791



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : d30442a7fcedd1b9014c

Receipt Date : 21-Aug-2023 02:37:20 pm

Receipt Amount : 14400/-

Amount In Words : Fourteen Thousands Four Hundred Rupees Only

Token Number : 202300112620

Office Name : SRO - Simdega


Document Type : Sale Deed

Payee Name : STEFFI KULLU (Vendee)

GRN Number : 2318861447



-: For Office Use :-



इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

स्टेफी कुल्लु
26/08/2023

.2.

(4) मूल्य :- मोवलिंग तीन लाख साठ हजार रूपये अंके 3,60,000/- रूपये।

(5)सम्पत्ति :- संरचना रहित आवासीय भूमि

क्रं.	जिला	अंचल	मौजा	थानानं.	खाता नं.	प्लोट.नं.	रकबा
1	सिमडेगा	सिमडेगा	गोतरा मरियमपुर	80	179	3105	0.06 ए.

एराजियात छः डिसमिल अंके 0.06 एकड़ जमीन हकियत रैयती मय दखली खरीदगी वाके मौजा गोतरा मरियमपुर वार्ड नं0 01 थाना नं0 80 थाना सिमडेगा सब रजिस्ट्री ऑफिस सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 179 (एक सौ उन्चासी) प्लोट नं0 3105 (एकतीस सौ पाँच) रकबा 0.06 एकड़ (छः डिसमिल) जमीन का माप

उत्तर तरफ पूरब-पश्चिम - 43'

दक्षिण तरफ- पूरब-पश्चिम -49'

पूरब तरफ - उत्तर-दक्षिण -57'

पश्चिम तरफ उत्तर-दक्षिण -57' है। जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- मकान घेरा दूसरा हिस्सा,

दक्षिण :-इसी प्लोट का अंश नीज बिक्रेता,

पूरब :- कच्चा रास्ता 12 फीट चौड़ा,

पश्चिम :- इसी प्लोट का अंश नीज बिक्रेता।

कुल एक खाता का एक प्लोट का टुकड़ा रकबा 0.06 एकड़ सिर्फ। जिसका मालगुजारी सालाने 1.00 रूपैया अलावे शेष। वर्णित जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय भूमि है जिस पर किसी प्रकार का मकान अथवा कोई संरचना नहीं है तथा कोई पेड़ पौधा भी नहीं है। और इसे पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री, बंधक, एग्रीमेन्ट या लीज नहीं की गई है। जिसका हॉल्लिडिंग नं0 0010000897000M0 है।

(1) चूंकि इस समय मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता है और बिना जमीन बेचे रूपैया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतः मैंने लेख्यधारी से वर्णित जमीन खरीदने का प्रस्ताव किया जिसे उन्होंने भी उपरोक्त जमीन को खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया।

फिलोसोफिया कुल

19-8-2023

एजेन्ट मिंउ पिता स्व.श्रीराम मिंउ

गाँव मरियमपुर
थाना + जिला - सिमडेगा

19-8-2023

.3.

(2) चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं अतः जमीन बिक्री के पूर्व आवश्यक अनुमति हेतु सी०एन०टी० एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 193/2023-24 श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 08.08.2023 को हुई और मेमो नं० 372 (ii) रेव० दिनांक 08.08.2023 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई।

(2) इसलिए अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रह कर ऊपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो० 3,60,000/- रूपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी सुश्री स्टेफी कुल्लू के हाथ सदा दिन के लिए बेच दी और वर्णित जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारीगण के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दी।

(3) मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी खरीदगी है जो **Book No. 1 Volume 7 Page 365 to 382 Deed No. 219/218 Year 2010 Date 25-05-2010** के अनुसार खरीदगी है तथा बाद खरीदगी के अंचल कार्यालय,सिमडेगा से दाखिल खारीज वाद सं० 55R27/2010-11 के अनुसार मेरे नाम से दाखिल खारीज होकर जमाबंदी कायम हुआ और वर्तमान पंजी ॥ के वोल्यूम नं० 9 पृष्ठ संख्या 232 में जमाबंदी होकर ऑनलाईन मालगुजारी रसीद निर्गत होता है। खतियान के अनुसार वर्णित जमीन काएमी है जो चुमनु उरांव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है। वर्णित जमीन पर मेरा निर्विवाद दखल वो कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है। अब से उस पर सारा हक वो दखल कब्जा लेख्यधारिणी हस्तान्तरण कर दी। अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखल कब्जा वो हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का।

(4) चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह जोत कोड़ करे मकान शहन आदि बनावें या जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय सिमडेगा से तारीख लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें।


(5) इसलिए यह विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी हमेशा के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरी पर काम आवे।

कलामी अंगी कुल्लू
19.8.2023

4.

मैं लेख्यकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि विक्रीत जमीन भू-हदबंदी, कैसरे-हिन्द, खास महाल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैरमजरूआ से संबंधित नहीं है।

सही - विक्रेता - फिलोमिना कुल्लू
19/08/2023



कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाँचे हाथ का पाँचों अंगुलियों का दायें मेरे समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार महेंद्र
अधिकृत

मैं, लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही - क्रेता - संजय कुमार
19/08/2023



कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाँचे हाथ का पाँचों अंगुलियों का दायें मेरे समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार महेंद्र
अधिकृत

फिलोमिना कुल्लू
19-8-2023

6.

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 6 पृष्ठों में कुल 951 शब्द मुद्रित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है।

मुद्रक -

ह0/- नारायण दास
(नारायण दास) 19/8/23

कचहरी परिसर,सिमडेगा।

अनुलग्नक :-

- 1, शेड्युल की मूल प्रति।
- 2, जांच प्रतिवेदन एवं आदेश की सत्यापित प्रति।
- 3, केवाला दस्तावेज की छाया प्रति।
- 4, शूद्धि-पत्र की छाया प्रति।
- 5, मालगुजारी रसीद की ऑन लाईन प्रति।
- 6, खतियान का छाया प्रति।
- 7, हॉल्लिडिंग रसीद की छाया प्रति।
- 8, ग्रामीण नक्शा की छाया प्रति।
- 9, ट्रेश मैप की मूल प्रति।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की रव अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है हे या विकरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

किलोमिना कुल्लु

26-8-2023

किलोमिना कुल्लु
19-8-2023